

पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं जालोर विकास समिति

के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित

“जालोर महोत्सव-2022”

(15 फरवरी से 17 फरवरी 2022)

बिड शर्तें

स्टेडियम प्रांगण में विभिन्न शॉपिंग दुकाने, शॉपिंग स्टॉल्स –

शॉपिंग मेले में स्वीकृत बोलीदाता को प्रमुखतः घर गृहस्थी की उपयोगी एवं कलात्मक वस्तुएं, फर्निचर, कारपेट, हेण्डलूम सामान, होजरी कपडे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, चूमा, घड़ी, हैंडबैग, बच्चों के खिलोने, स्पोर्ट्स आइटम, किचन उपकरण, होम डेकोरेटिव इत्यादि की विभिन्न प्रकार की 250 से 300 दुकाने लगानी होगी। किसी भी प्रकार का गैर कानूनी वस्तु का बेचान अथवा व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।

फूड कोर्ट –

फूड कोर्ट में बोलीदाता को विभिन्न प्रकार के व्यंजन जिसमें शुद्ध शाकाहारी साउथ इण्डियन, पंजाबी, राजस्थानी, चाइनीज, स्नैक्स आइसक्रीम एवं शुद्ध पेय पदार्थ इत्यादि की स्टॉल लगानी होगी।

झूले एवं अन्य मनोरंजन के संसाधन –

झूले एवं अन्य मनोरंजन के संसाधन में बोलीदाता को विभिन्न प्रकार के झूलों में बच्चों के लिए बोटिंग, आसमान छुते झूले, रोलर कोस्टर सहित सुरक्षित झूले लगाने होंगे।

बिड की शर्तें :-

1. बोलीदाता को “शॉपिंग केम्पस” के लिए ले आउट स्थल आयोजन समिति द्वारा निर्धारित करके दिया जाएगा। मेला आयोजन 15.02.2022 से 21.02.2022 तक किया जाएगा। मेला प्रबंधन के लिए स्टेडियम मैदान की उपलब्धता 15.02.2022 से करवा दी जाएगी।
2. बोलीदाता को स्टेडियम के गेट संख्या 2 के अन्दर की तरफ 10' गुणा 15' साईज की कुल 8 टेंट से निर्मितशुदा दुकानें मय विद्युत कनेक्शन निर्धारित स्थान पर आयोजन समिति को निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी।
3. बोलीदाता द्वारा दी गई दर (सभी वर्गीकृत आइटमों की दरों को सम्मिलित करते हुए) एकमुश्त देनी होगी, किन्तु इसमें टैक्स सम्मिलित नहीं हो। अर्थात् टैक्सेज चुकाने की सारी जवाबदेही अतिरिक्त रूप से बोलीदाता की रहेगी।

4. उपर्युक्त द"र्राये काय में बोलीदाता द्वारा आयोजन कमेटी को टेक्स के अलावा शुद्ध देय रा"ी का उल्लेख किया जाना होगा। कार्य हेतु विद्युत एवं जल व्यवस्था बोलीदाता स्वयं की होगी।
5. बोलीदाता को बिड के साथ रू. 50000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का "जालोर विकास समिति" के नाम से जालोर पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट सिक्यूरिटी रा"ी के रूप में जमा कराना होगा। बोलीदाता के पक्ष में बिड स्वीकृत होने पर स्वीकृत बिड के मूल्य का 25% चैक द्वारा अविलम्ब भुगतान करना होगा। शेष 25% 11 फरवरी, 2022 तक एवं शेष रा"ी 14 फरवरी, 2022 तक देनी होगी। रा"ी निर्णित दिन तक जमा नहीं कराये जाने पर बिड निरस्त का समस्त अधिकार बिड क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगें।
6. उच्चतम रा"ी के बोलीदाता की बिड का अनुमोदित होते ही जमा करवाई प्रथम 25 प्रतिशत राशि के बाद शेष रा"ी में से 25 प्रतिशत राशि 11.02.2022 तक जमा नहीं करवा पाने की स्थिति में उस निविदा को निरस्त कर जमा करवाई 1/4 राशि को जब्त करते हुए पश्चात् अगली उच्च दर वाली बिड को अनुमोदित कर दिया जाएगा। स्वीकृत बोलीदाता को उपर्युक्त अनुसार रा"ी निर्णित तिथी पर देय चैक द्वारा चुकानी होगी। भुगतान में चुक होने पर बिड को निरस्त करने का अधिकार बिड क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। प्रथम स्वीकृत बिड निरस्त होने पर द्वितीय स्वीकृत बिड को कार्य आदे"ा प्रदान किया जा सकेगा। प्रथम एवं द्वितीय बिड के अन्तर की रा"ी प्रथम स्वीकृत बोलीदाता द्वारा जमा कराई रकम से भरपाई को जायेगी जिस हेतू वह बाध्य होगा।
7. बोलीदाता को उक्त अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा एवं अपने स्वयं की **D.G. Set** की व्यवस्था करनी होगी।
8. बोलीदाता को स्वयं के स्तर पर सुरक्षा नियमों की पालना करनी होगी एवं सुरक्षाकर्मियों और सुरक्षा उपकरणों (अग्निश्मन यंत्र सहित अन्य) माकूल व्यवस्था करनी होगी।

9. बोलीदाता "शॉपिंग केम्पस" में वैरायटी शो, जुंआ, चकरी, घातक श्रेणी के प्रदर्शन एवं ऐसे आयोजन, जो आदर्श मेले की श्रेणी में विधि मान्य नहीं है उन्हें सम्मिलित करने की अनुमति नहीं होगी।
10. बोलीदाता को आवंटित परिसर में मेले, खाद्य पदार्थ एवं झूलों इत्यादि में सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति की बाध्यता रहेगी।
11. बोलीदाता को "शॉपिंग केम्पस" को लेकर शासन द्वारा प्रवर्तित सभी कानूनों एवं कोविड गाईडलाइन की पालना करनी आवश्यक होगी।
12. अनुमोदित बोलीदाता एवं आयोजन समिति के बीच कार्यक्रम क्रियान्वयन के किसी बिंदु को लेकर कोई विरोधाभासो स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रीमान् जिला कलेक्टर जालोर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य रहेगा।
13. बिना कारण बताए अधिकतम बोलीदाता की बिड निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार समिति में निहित रहेगा।
14. मेला कार्य एवं फूड कोर्ट के बोलीदाता को मला समाप्ति पंचात स्टेडियम प्रांगण की सफाई के मानदण्ड की सख्ती से पालना करनी होगी। मेला समाप्ति पंचात ग्राउण्ड सफाई की जिम्मेवारी भी उनकी रहेगी, अन्यथा सिक्यूरिटी राशि जब्त कर दी जायेगी।
15. फूड कोर्ट के लिए निर्दिष्ट स्थानों पर फूड स्टॉल लगानी होगी। फूड के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी वैधानिक स्वास्थ्य एवं गुणवता के मानदण्ड पूरे करने अनिवार्य हैं। खाद्य पदार्थ पकाने या बनाने में ईंधन प्रयोग के लिए पूर्णतया वैधानिक नियमों की पालना करनी अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार के एडल्टरेशन इत्यादि के लिए बोलीदाता जिम्मेवार होगा। बोलीदाता द्वारा लगाई गई स्टॉलों में गुणवतापूर्ण वैरायटी नहीं होने पर समिति द्वारा अलग से फूड स्टॉल लगवाई जा सकती हैं।
16. अनुमोदित बोलीदाता द्वारा NJS रु. 500/- पर संविदा निष्पादन पंचात ही कार्य अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

17. आकस्मिक परिस्थितियों अथवा कोविड महामारी के मध्यनजर सरकारी गाइडलाइन की पालना में मेला निरस्त करने का अधिकार श्रीमान् जिला कलक्टर, जालोर के पास सुरक्षित रहेगा । बोलीदाता इस हेतू किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा ।
18. बोलीदाता को फर्म एवं फर्म के समस्त भागीदारों के पैन कार्ड संख्या एवं आधार कार्ड की स्व- प्रमाणित छाया प्रति बिड के साथ सलंगन करनी होगी ।
19. न्यूनतम बिड राशि प्राप्त नहीं होने की दशा में बिड प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार बिड क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा अथवा बिड तिथी को आगे बढ़ाई जाने के समस्त अधिकार निहित रहेंगे ।
20. बोलीदाता अपने बिड पूर्णतया हस्ताक्षरसुदा प्रस्तुत करनी होगी । बिना हस्ताक्षर, डाक व तार एवं देरी से प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
21. किसी भी विधिक विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार जालोर रहेगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

पता:.....

.....

.....

मोबाईल नं०

बिड भर्तों के प्रति सहमति विशयक प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बोलीदाता होने के नाते बिड की सम्पूर्ण शर्तों का विगतवार अध्ययन मेरे द्वारा पूर्णतया होस हवास में बिना न"ी पते के कर दिया गया है तथा पूर्णतया समझ लिया है व मेरी सहमति देता हूँ । इन शर्तों की पालना हेतू बोलीदाता वचन बद्ध रहेगा ।

दिनांक :

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर

बोलीदाता का नाम	बिड के लिए प्रस्तुत रा"ी (टेक्स के अतिरिक्त)
पूरा पता	अंको में
.....	शब्दों में
मोबाइल नम्बर
ई-मेल	

अमानत रा"ी का ब्यौरा :

डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर :

दिनांक :

रा"ी :

बैंक का नाम :

बोलीदाता के हस्ताक्षर